

जनसुनवाई में शिकायत के बाद मारा छापा: खाद्य औषधि प्रशासन विभाग ने नकली ब्रांड का पानी, पेय पदार्थ की फैक्ट्री पकड़ी

बुरहानपुर



कार्रवाई के दौरान जब्त किया गया पेय पदार्थ।

खाद्य औषधि प्रशासन विभाग ने मंगलवार दोपहर लोधीपुरा दरगाह हकीमी क्षेत्र में दबिश देकर नकली ब्रांड का पानी और पेय पदार्थ बेच रहे दो जनरल स्टोर से सैंपल लिए। बिना अनुमति संचालित की जा रही फैक्ट्री को जब्त कराया। सैंपल जांच के लिए भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने पर विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

मंगलवार को समाजसेवी डॉ. आनंद दीक्षित ने एडीएम शैलेंद्रसिंह सोलंकी से जनसुनवाई में शिकायत की कि लोधीपुरा क्षेत्र में नकली पेय पदार्थ और बिना ब्रांड का पानी बेचा जा रहा है। जिस पर एडीएम ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग इंस्पेक्टर कमलेश डावर को मौके पर भेजा। जांच में पाया कि हकीमी जनरल स्टोर और एटुजेड जनरल स्टोर में बिना ब्रांड का लेबल लगाए पानी और अन्य पेय पदार्थ बेचा जा रहा है। खाद्य औषधि प्रशासन विभाग ने जांच में पाया कि दुकान संचालक सैफुद्दीन पूनावाला अपने घर में ही फैक्ट्री भी चला रहा है। जहां यह पानी और पेय पदार्थ तैयार किए जा रहे हैं। यहां दो क्विंटल फफूंद लगा आम पापड़ मिला। जिसका उपयोग मैंगो कोल्डिंग्स बनाने के लिए किया जाता था। यह सब देखकर सैंपल लेकर फैक्ट्री को सील कर दिया।



कार्रवाई के दौरान खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग इंस्पेक्टर कमलेश डावर।

रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी

वहीं बुरहानपुर फूड सेफ्टी ऑफिसर कमलेश डावर ने कहा कि मैन्युफेक्चरिंग यूनिट पर बॉटल तैयार करते हुए मिले। रॉ मटेरियल मिला है, जिसे जब्त किया गया है। फैक्ट्री सील कर रहे हैं। सैंपल भोपाल भेजे जाएंगे। वहां से रिपोर्ट आने के बाद संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर गड़बड़ी मिली तो ढाई लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है।



शिकायतकर्ता समाजसेवी डॉ. आनंद दीक्षित।

बुरहानपुर समाजसेवी डॉ. आनंद दीक्षित बोले- लोगों को गले में इन्फेक्शन हो रहा था। पानी है या गंगाजल यह पहचान में नहीं आ रहा है। पेय पदार्थ भी बिना ब्रांड लेबल के हैं।

Source: <https://www.bhaskar.com/local/mp/khandwa/burhanpur/news/food-drug-administration-department-caught-fake-brand-water-beverage-factory-128924260.html>